



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 181-2022/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, OCTOBER 7, 2022 (ASVINA 15, 1944 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 07 अक्टूबर, 2022

संख्या 61/जी०एस०टी०-२- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. (1) ये नियम हरियाणा माल और सेवा कर (पांचवा संशोधन) नियम, 2022, कहे जा सकते हैं।
(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये नियम प्रथम अक्टूबर, 2022 से लागू हुए समझे जाएंगे।
2. हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिन्हें, इसमें, इसके पश्चात्, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 21 में, खंड (छ) के बाद, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:-

"(ज) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति होने के कारण प्रत्येक मास या उसके भाग के लिए धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन रिटर्न दाखिल करने के लिए अपेक्षित है और लगातार छह मास की अवधि के लिए रिटर्न प्रस्तुत नहीं की है;

(झ) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति होने के कारण प्रत्येक तिमाही या उसके भाग के लिए धारा 39 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन रिटर्न दाखिल करने के लिए अपेक्षित है और दो कर अवधियों के निरंतर अवधि के लिए रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया है।"

3. उक्त नियमों में, नियम 36 में,-
(क) उप-नियम (2) में, "और उक्त दस्तावेज में यथा अंतर्विष्ट सुसंगत सूचना ऐसे व्यक्ति द्वारा प्ररूप जीएसटीआर-2 में दी गई है" शब्दों, अक्षरों और अंक का लोप किया जाएगा;
(ख) उप-नियम (4) में, खंड (ख) में, "ऐसे बीजकों या नामें नोट" शब्दों के बाद, "के सम्बन्ध में इनपुट कर प्रत्यय" शब्द रखे जाएंगे;

4. उक्त नियमों में, नियम 37 में,-
(क) उपनियम (1) और (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-
"(1) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो माल या सेवा या दोनों की किसी आवक प्रदाय पर इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करता है, उन प्रदायों के अलावा जिन पर कर रिवर्स चार्ज के आधार पर देय है, किन्तु उसके प्रदायकर्ता को धारा 16 की उपधारा (2) के दूसरे परंतुक में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर भुगतान करने में असफल रहता है, तो वह उस पर भुगतान योग्य कर सहित बीजक के जारी किए जाने की तिथि से एक सौ अस्सी दिन की अवधि के ठीक पश्चात् वाली कर अवधि के लिए, ऐसी प्रदाय के संबंध में उपभोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय के बराबर राशि का भुगतान धारा 50 के अधीन उस पर देय ब्याज के साथ प्ररूप जीएसटीआर-3ख में करेगा:

परंतु उक्त अधिनियम की अनुसूची 1 में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिफल के बिना की गई प्रदाय का मूल्य, धारा 16 की उपधारा (2) के द्वितीय परंतुक के प्रयोजनों के लिए भुगतान किया गया समझा जाएगा:

परन्तु यह और कि धारा 15 की उपधारा (2) के खंड (ख) के उपबंधों के अनुसार जोड़ी गई किसी राशि के कारण प्रदायों के मूल्य को धारा 16 की उपधारा (2) के द्वितीय परन्तुक के प्रयोजनों के लिए भुगतान किया गया समझा जायेगा।

- (2) जहां उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, बाद में ऐसे प्रदाय के मूल्य की राशि का भुगतान उसके प्रदायकर्ता को देय कर के साथ करता है, वह उप-नियम (1) में निर्दिष्ट इनपुट कर प्रत्यय का पुनः लाभ उठाने का हकदार होगा।";
- (ख) उप-नियम (3) का लोप कर दिया जाएगा;
5. उक्त नियमों में, नियम 38 में,—
 - (क) खंड (क) में, उप-खंड (ii) में, "प्ररूप जीएसटीआर -2 में" शब्द, अक्षरों और अंक का लोप कर दिया जाएगा;
 - (ख) खंड (ग) में, "और प्ररूप जीएसटीआर -2 में दिया जाएगा", शब्दों, अक्षरों और अंक के स्थान पर, "और इनपुट कर प्रत्यय की शेष राशि प्ररूप जीएसटीआर-3ख में रिवर्स कर दी जाएगी" शब्द, अक्षर और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
 - (ग) खंड (घ) का लोप कर दिया जाएगा;
6. उक्त नियमों में, नियम 42 में, उप-नियम (1) में, खंड (छ) में "और प्ररूप जीएसटीआर-2 में सारांश स्तर पर" शब्दों, अक्षरों और अंक का लोप किया जाएगा;
7. उक्त नियमों में, नियम 43 में, उप-नियम (1) में, "और प्ररूप जीएसटीआर-2" शब्दों, अक्षरों और अंक जहां कहीं भी आए, का लोप किया जाएगा;
8. उक्त नियमों में, नियम 60 में, उप-नियम (7) में, "स्वतः तैयार" शब्दों के स्थान पर, "स्वतः जनित" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
9. उक्त नियमों में, नियम 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 और 79 का लोप किया जाएगा;
10. उक्त नियमों में, नियम 83 में, उप-नियम (8) में, खंड (क) में, "और आवक" शब्दों का लोप किया जाएगा;
11. उक्त नियमों में, नियम 85 में, उप-नियम (2) में,
 - (क) खंड (ख) में, "अन्य राशि;" शब्दों और चिन्हों के स्थान पर "अन्य राशि; या" शब्द और चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
 - (ख) खंड (ग) का लोप कर दिया जाएगा;
12. उक्त नियमों में, नियम 89 में, उपनियम (1) में,—
 - (क) "कोई व्यक्ति, जो" शब्दों के बाद, "धारा 49 की उप-धारा (6) के उपबंधों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता में किसी भी शेष राशि का, या" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;
 - (ख) प्रथम परंतुक का लोप किया जाएगा;
 - (ग) द्वितीय परंतुक में, "परंतु यह और कि" शब्दों के स्थान पर, "परंतु" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;
 - (घ) तृतीय परंतुक में, "परन्तु यह भी" शब्दों के स्थान पर, "परन्तु यह और भी" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
13. उक्त नियमों में, नियम 96 में, उपनियम (3) में, "प्ररूप जीएसटीआर-3 या प्ररूप जीएसटीआर-3ख, जैसा भी स्थिति हो" शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर, "प्ररूप जीएसटीआर-3ख" शब्द, अक्षर और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
14. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटीआर-1क, प्ररूप जीएसटीआर-2 और प्ररूप जीएसटीआर-3 का लोप किया जाएगा;
15. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी पीसीटी-05 में, भाग-क में, तालिका में, क्रम संख्या 1 के सामने, "गतिविधियों की सूची" शीर्षक के अधीन, "और आवक" शब्दों का लोप किया जाएगा।

अनुराग रस्तोगी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 07th October, 2022

No. 61/GST-2— In exercise of the powers conferred by section 164 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017, namely: -

1. (1) These rules may be called the Haryana Goods and Services Tax (Fifth Amendment) Rules, 2022.
- (2) Save as otherwise provided in these rules, they shall be deemed to have come into force with effect from the 1st October, 2022.
2. In the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 21, after clause (g), the following clauses shall be inserted, namely:-
 - “(h) being a registered person required to file return under subsection (1) of section 39 for each month or part thereof, has not furnished returns for a continuous period of six months;
 - (i) being a registered person required to file return under proviso to subsection (1) of section 39 for each quarter or part thereof, has not furnished returns for a continuous period of two tax periods.”;
3. In the said rules, in rule 36,—
 - (a) in sub-rule (2), the words, letters and figure, “, and the relevant information, as contained in the said document, is furnished in FORM GSTR-2 by such person” shall be omitted;
 - (b) in sub-rule (4), in clause (b), after the words, “the details of”, the words, “input tax credit in respect of” shall be inserted;
4. In the said rules, in rule 37,—
 - (a) for sub-rules (1) and (2), the following sub-rules shall be substituted, namely:-
 - “(1) A registered person, who has availed of input tax credit on any inward supply of goods or services or both, other than the supplies on which tax is payable on reverse charge basis, but fails to pay to the supplier thereof, the amount towards the value of such supply along with the tax payable thereon, within the time limit specified in the second proviso to sub-section(2) of section 16, shall pay an amount equal to the input tax credit availed in respect of such supply along with interest payable thereon under section 50, while furnishing the return in FORM GSTR-3B for the tax period immediately following the period of one hundred and eighty days from the date of the issue of the invoice:

Provided that the value of supplies made without consideration as specified in Schedule of the said Act shall be deemed to have been paid for the purposes of the second proviso to sub-section (2) of section 16:

Provided further that the value of supplies on account of any amount added in accordance with the provisions of clause (b) of sub-section (2) of section 15 shall be deemed to have been paid for the purposes of the second proviso to sub-section (2) of section 16.;

 - (2) Where the said registered person subsequently makes the payment of the amount towards the value of such supply along with tax payable thereon to the supplier thereof, he shall be entitled to re-avail the input tax credit referred to in sub-rule (1).”;
 - (b) sub-rule (3) shall be omitted;
5. In the said rules, in rule 38,—
 - (a) in clause (a), in sub-clause (ii), the word, letters and figure, “in FORM GSTR-2” shall be omitted;
 - (b) in clause (c), for the words, letters and figure, “and shall be furnished in FORM GSTR-2”, the words, letters and figure, “ and the balance amount of input tax credit shall be reversed in FORM GSTR-3B” shall be substituted;
 - (c) clause (d) shall be omitted;
6. In the said rules, in rule 42, in sub-rule (1), in clause (g), the words, letters and figure, “at the invoice level in FORM GSTR-2 and” shall be omitted;
7. In the said rules, in rule 43, in sub-rule (1), the words, letters and figure, “FORM GSTR-2 and” wherever occurring, shall be omitted;

8. In the said rules, in rule 60, in sub-rule (7), for the words “auto-drafted”, the words “auto-generated” shall be substituted;
9. In the said rules, rules 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 and 79 shall be omitted;
10. In the said rules, in rule 83, in sub-rule (8), in clause (a), the words “and inward” shall be omitted;
11. In the said rules, in rule 85, in sub-rule (2), –
 - (a) in clause (b), for the words “said person;”, the words “said person; or” shall be substituted;
 - (b) clause (c) shall be omitted;
12. In the said rules, in rule 89, in sub-rule (1), –
 - (a) after the words “ claiming refund of”, the words, brackets and figures “any balance in the electronic cash ledger in accordance with the provisions of sub-section (6) of section 49 or” shall be inserted;
 - (b) the first proviso shall be omitted;
 - (c) in the second proviso, for the words “Provided further that”, the words “Provided that” shall be substituted;
 - (d) in the third proviso, for the words “Provided also that”, the words “Provided further that” shall be substituted;
13. In the said rules, in rule 96, in sub-rule (3), for the words, letters and figures, “FORM GSTR-3 or FORM GSTR-3B, as the case may be”, the letters and figure, “FORM GSTR-3B” shall be substituted;
14. IN the said rules, FORM GSTR-1A, FORM GSTR-2 and FORM GSTR-3 shall be omitted;
15. In the said rules, in FORM GST PCT-05, in Part-A, in the table, against Sr. No.1, under the heading “List of Activities”, the words, “and inward”, shall be omitted.

ANURAG RASTOGI,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.